न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
57 / 2016 / प्रा.पत्र / 2016	09.08.2016	13.07.2022

डा0 मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

..... प्रार्थी

बनाम

1–श्री रमेश चन्द जैन पुत्र श्री भागचन्द जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स रमेश किराणा स्टोर बस स्टैण्ड के पास चौसला तह. मालपुरा जिला टोंक राज. निवासी मकान नं. 531 जैन मन्दिर के पास निमेडा तह. फागी जिला जयपुर
2– मैसर्स रमेश किराणा स्टोर बस स्टैण्ड के पास चौसला तह. मालपुरा जिला टोंक राज.
3–श्री विनोद कुमार गुप्ता प्रोपरायटर मैसर्स विनोद टी ट्रेडर्स 238, ए लक्ष्मी विला पुरोहित पाडा ब्रह्मपुरी जयपुर राज. निवासी 238, ए लक्ष्मी विला पुरोहित पाडा ब्रह्मपुरी जयपुर राज.
4– मैसर्स विनोद टी ट्रेडर्स 238, ए लक्ष्मी विला पुरोहित पाडा ब्रह्मपुरी जयपुर राज.

..... अप्रार्थीगण

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii)

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार उप.।
2–अप्रार्थीगण एवं उनके अभिभाषक अनु.।

:–निर्णय–: **दिनांक 13.07.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 13.02.2016 को समय 02:32 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स रमेश किराणा स्टोर बस स्टैण्ड के पास चौसला तह. मालपुरा जिला टोंक राज. पर पहुंचा वहां पर श्री रमेश चन्द जैन पुत्र श्री भागचन्द जैन उपस्थित मिला को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री रमेश चन्द जैन ने स्वयं को मैसर्स रमेश किराणा स्टोर बस स्टैण्ड के पास चौसला तह. मालपुरा जिला टोंक राज. का एफ.बी.ओ. होना बताया एवं खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में घी, तेल, गुड, शक्कर, मसाले व अन्य खाद्य पदार्थों के साथ **चाय श्री जी स्पेशल पॉली पैक (Tea Shree Ji Special Poly Pack)** जिसके बैच नं. व दिनांक अंकित नहीं थी, 250–250 ग्राम के 17 नग रखे हुए थे, जिसे देखने पर व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अंदेशा होने पर विक्रेता श्री रमेश चन्द जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, विक्रेता को सूचित कर दो प्रतियों में विक्रेता श्री रमेश चन्द जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **चाय श्री जी स्पेशल**

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

पॉली पैक **(Tea Shree Ji Special Poly Pack)** वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय की जा रही हैं, 250–250 ग्राम के आठ नग खरीदे जिसकी कीमत विक्रेता को नगद रूपये देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक ने खरीदशुदा **चाय श्री जी स्पेशल पॉली पैक (Tea Shree Ji Special Poly Pack)** 250–250 ग्राम के आठ नग को अलग–अलग चार साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बों में प्रत्येक डिब्बे म 2 नग रखा एवं प्रत्येक डिब्बों को ढक्कन से एयरटाइट नियमानुसार बन्द किया एवं अलग–अलग चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक I–1275 अंकित किया । प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया एवं चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–1275 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

श्री रमेश चन्द जैन पुत्र श्री भागचन्द जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स रमेश किराणा स्टोर बस स्टैण्ड के पास चौसला तह. मालपुरा जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स विनोद टी ट्रेडर्स 238, ए लक्ष्मी विला पुरोहित पाडा ब्रह्मपुरी जयपुर राज. का बिल पेश प्रस्तुत किया।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे. नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मैसर्स विनोद टी ट्रेडर्स 238, ए लक्ष्मी विला पुरोहित पाडा ब्रह्मपुरी जयपुर राज. को फार्म नं. 5 ए की सूचना व आवश्यक दस्तावेज मंगवाने हेतु पत्र प्रेषित किया जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी ने अपनी फर्म से संबंधित दस्तावेज प्रेषित किया परन्तु बतौर वारन्टी कोई उचित बिल प्रस्तुत नहीं किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./16/1837 दिनांक 04.05.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/71/एक्ट/2016/121 दिनांक 22.02.2016 अनुसार विक्रेता श्री रमेश चन्द जैन से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **चाय श्री जी स्पेशल पॉली पैक (Tea Shree Ji Special Poly Pack)** एफ.एस. एस.ए. की धारा 2(ii) का उल्लंघन करने के कारण **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का **चाय श्री जी स्पेशल पॉली पैक (Tea Shree Ji Special Poly Pack)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से दिनांक 30.09.2016 को श्री गोविन्द नारायण शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश कर जवाब हेतु समय चाहा। परन्तु अभिभाषक अप्रार्थी को कई अवसर देने के बावजूद भी उनके द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया। अतः पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **चाय श्री जी स्पेशल पॉली पैक (Tea Shree Ji Special Poly Pack)** का विक्रय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है,इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **चाय श्री जी स्पेशल पॉली पैक (Tea Shree Ji Special Poly Pack)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 व 2 पर कुल शास्ति रूपये 1,00,000/– (अक्षरे एक लाख रू0) तथा अप्रार्थी सं. 3 व 4 पर कुल शास्ति रूपये 2,50,000/–(अक्षरे दो लाख पचास हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 13.07.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.07.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0